भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1251

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः दलहनों और तिलहनों का उत्पादन

1251. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश में दलहनों और तिलहनों के उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विशेष रूप से उक्त दो फसलों के लिए कोई विशेष योजना लागू करने का विचार है ताकि उनकी खेती करने वाले किसानों की समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित की जा सके?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पिछले दस वर्षों अर्थात् वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक के दौरान (तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार), कुल दलहन और तिलहन उत्पादन में क्रमशः 43% और 44% की वृद्धि हुई है।

(ख): भारत सरकार दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लागू कर रही है। एनएफएसएम-दलहन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/संकरों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, उन्नत कृषि उपकरणों/औजारों/संसाधन संरक्षण मशीनरी, जल बचत उपकरणों, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि पर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। दलहन उत्पादन और इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए दलहन की नई किस्मों के बीज मिनीकिट का वितरण, गुणवत्तायुक्त बीजों का उत्पादन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में सीड हब का निर्माण, केवीके द्वारा तकनीकी प्रदर्शन जैसी पहलों को भी एनएफएसएम के तहत शामिल किया गया है।

एनएफएसएम-तिलहन के अंतर्गत, किसानों को तिलहन की खेती करने के लिए तीन व्यापक कार्यकलापों हेतु प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, अर्थात (i) बीज घटक जिसमें ब्रीडर सीड की खरीद,

आधार बीजों और प्रमाणित बीजों का उत्पादन, प्रमाणित बीजों का वितरण, बीज मिनीकिट का वितरण और बीज हब शामिल हैं, (ii) उत्पादन इनपुट घटक जिसमें पादप संरक्षण (पीपी) उपकरण और बीज उपचार ड्रम, पीपी रसायन, जिप्सम/पाइराइट्स/चूना आदि का वितरण, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस/बायो एजेंट, जैव-उर्वरकों की आपूर्ति, उन्नत कृषि उपकरण, स्प्रिंकलर सेट, जलवाहक पाइपें शामिल हैं और (iii) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण घटक जिसमें क्लस्टर/ब्लॉक प्रदर्शन, फ्रंटलाइन प्रदर्शन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली और कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के माध्यम से क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन और प्रशिक्षण, किसान फील्ड स्कूल (एफएफएस) मोड के माध्यम से एकीकृत कीट प्रबंधन, किसानों का प्रशिक्षण, अधिकारियों/विस्तार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, सेमिनार/किसान मेला सहित आवश्यकता आधारित अनुसंधान एवं विकास परियोजना और फ्लेक्सी फंड के तहत तेल निष्कर्षण इकाई शामिल हैं।

भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को लचीलापन भी प्रदान करती है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से आरकेवीवाई के तहत दलहन/तिलहन को बढ़ावा दे सकते हैं।

देश में दलहन और तिलहन की उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) इन फसलों पर बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान करता है तथा स्थान-विशिष्ट उच्च उपज देने वाली किस्मों और मैचिंग उत्पादन पैकेजों को विकसित करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर अनुप्रयुक्त अनुसंधान करता है।

किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) को शामिल करते हुए एक व्यापक योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) लागू की है ताकि अधिसूचित तिलहन, दलहन और खोपरा की उपज के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जा सके। तुअर, मसूर और उड़द के मामले में, किसानों को घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पीएसएस के तहत वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन के 25% की खरीद सीमा को हटा दिया गया है।

*****